प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 30 अप्रैल, 2015**

विषय-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-027/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015-16, दिनांक -07-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-8, विश्व बैंक (ट्राव-4), आर0आर0पी0-1 हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 15,43,96,00,000.00 (रूपये पन्द्रह अरब तिरालिस करोड छानबे लाख मात्र) के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17024/26/2010-आर0सी0 (एफ0एम0एस0नं0-300191), दिनांक-31-03-2015 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 51,73,00,000.00 (रूपये इक्यावन करोड़ तिहत्तर लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जाय, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के नाम से स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खुले बचत बैंक खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जाय तथा उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व संगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.-100/रा.0-के.) -24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या- 20/2015/पी-426 (1)/अड्तीस-9-2015, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक (ग्रामीण सम्पर्कता), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
6- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in